संख्या-226/2021/963रासनि/23-1-21-04रासनि/21

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 20 अक्टूबर, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 13 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के कुल 13 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 6,16,86,000/- (रूपये छः करोड़ सोलह लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(3) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रायोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-226/2021/963रासनि(1)/23-1-21, तददिनांक।।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-226/2021/963रासनि/23-1-21-04रासनि/21, दिनांक 20.10.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	मुख्य अभियंता (मु0–1), लो0नि0 वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4190सी/191सी/3054सी/3054–मांग/2021–22/मूल, दि0 24.09.2021	Prayagraj	मेजा कोडहारघाट खीरी मार्ग	136 रासनि/23–1–19–100 रासनि/18 दिनांक 09.03.2019	207.72	72.72	0.00	135.00	93.45
2	4190सी/191सी/3054सी/3054–मांग/2021–22/मूल, दि0 24.09.2021	Prayagraj	जी0टी0 मार्ग से प्रयागराज वाराणसी मार्ग	93/2021/561 रासनि/23–1–21–51 रासनि/20 दिनांक 15.03.2021	301.66	6.03	0.00	295.63	150.83
3	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	सोरांव कस्बा संपर्क मार्ग तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य।	221/2020/1161 रासनि/23–1–20–40रासनि/20 दिनांक 31.12.2020	57.61	11.52	0.00	46.09	28.81
4	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	उतरौला फैजाबाद मार्ग से सोरांव कस्बा होते हुए सोरांव तकिया मार्ग तक विशेष मरम्मत का कार्य।	221/2020/1161 रासनि/23–1–20–40रासनि/20 दिनांक 31.12.2020	99.63	19.93	0.00	79.70	59.77
5	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	भागीपुर से बसन्त डिग्री कालेज होते हुए पी0एच0 मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	35/2021/76 रासनि/23–1–20–44रासनि/20 दिनांक 03.02.2021	104.53	20.91	0.00	83.62	62.71
6	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	जी0टी0 रोड सराय इनायत से भागीपुर मेहशाना मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	35/2021/76 रासनि/23–1–20–44रासनि/20 दिनांक 03.02.2021	58.68	11.74	0.00	46.94	35.20
7	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	ए0जी0 मार्ग से मलावा बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	35/2021/76 रासनि/23–1–20–44रासनि/20 दिनांक 03.02.2021	72.03	14.41	0.00	57.62	43.21
8	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	गौहानी बारा सम्पर्क मार्ग	63/2020/681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	156.88	127.14	10.95	18.79	18.79
9	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	रीवा मार्ग से गौरा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 व 2 में आई0सी0बी0पी0 द्वारा मार्ग के चौडीकरण का कार्य	114/2021/603 रासनि/23–1–21–94 रासनि/20 दिनांक 25.03.2021	47.92	2.40	2.00	43.52	23.96
10	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Prayagraj	प्रयागराज में मखऊपुर भगवतपुर मार्ग के किमी0 5 (कादिलपुर) से भीखमपुर मेडवारा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	114/2021/603 रासनि/23–1–21–94 रासनि/20 दिनांक 25.03.2021	43.70	2.19	0.00	41.51	21.85
11	4654सी/191सी/3054–मांग/2021–22, दि0 05.10.2021	Kausambi	मनौरी सराय अकिल से मिरजापुर चन्दापुर मार्ग (चैनेज 0 से 500) के आबादी भाग में सी0सी0	82/2021/459 रासनि/23–1–21 –53 रासनि/20 दिनांक 10.03.2021	41.43	2.07	0.00	39.36	20.72

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

क्र. सं.	मुख्य अभियंता (मु0–1), लो0नि0 वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			एवं नाली निर्माण का विशेष मरम्मत का कार्य।						
12	4654सी/191 सी/3054–मांग /2021–22, दि0 05.10.2021	Kausambi	जलालपुर साना से सिकन्दरपुर आईमा मार्ग (चैनेज 1200 से 1700) के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का विशेष मरम्मत का कार्य।	82/2021/459 रासनि /23–1–21 –53 रासनि/20 दिनांक 10. 03.2021	42.11	2.11	0.00	40.00	21.06
13	1181सी/191सी /3054सामान्य (मूल)/21–22, दि0 02.09.2021	Ghaziabad	सलेमपुर हुसैनपुर मार्ग से भदौली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	221/2020/1161 रासनि/23–1–20 –40रासनि/20, दिनांक 31.12.2020	51.21	10.24	0.00	40.97	36.50
				योग					616.86

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**